(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 101/2017 **जीसीएमएस नम्बर :— 2017/00120**

सुरजभान पुत्र हेमराज उम्र 60 साल जाति जाट निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

............वादी

बनाम

1. सन्तरा देवी पत्नी नन्दलाल उर्फ नन्दराम
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दलाल उर्फ नन्दराम
3. अमीत कुमार पुत्र नन्दलाल उर्फ नन्दराम जाति जाट निवासीगण देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. उप पंजियक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत— खाता विभाजन, घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः—

दिनांकः—20/7/23

(1). वादी का वादपत्र रहा कि

1. यह है कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता स0 72 के ख0 न0 44 रकबा 1.01 है0 ख0 न0 508 रकबा 0.40 है0 ख0 न0 535 रकबा 0.82 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.23 है0 भूमि के खातेदार कास्तकार प्रति0 स0 1 लगा0 3 दर्ज है।
2. यह कि प्रति0 स0 1 लगा0 3 ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता स0 72 के ख0 न0 535 रकबा 0.82 है0 सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2017 को राशि 300000 रूपये अक्षरी तीन लाख रूपये प्रतिफल प्राप्त कर वादी अपनी खरीद सुद्दा भूमि ख0 न0 535 रकबा 0.82 है0 पर काबिज कास्त है वादी व प्रतिवादीगण ने विधिवत रूप से नाप चालित भूमि की खाता विभाजन नहीं करवाया है वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

अपनी खरीद सुद्वा भूमि वाद वर्णित खसरा नम्बर 535 रकबा 0.82 है0 पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज कास्त है।

3. यह वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि ख0 न0 535 रकबा 0.82 है0 का वह खरीद सुद्वा मालिक है तथा खरीद सुद्वा मालिक की हैसियत से वह अपनी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज कास्त है वादी की खरीद सुद्वा भूमि का इन्तकाल वादी के नाम पुर नहीं किया गया है वादी अपनी खरीद सुद्वा, कब्जे सुद्वा भूमि का और अधिक विकास कर उसे और अधिक उपजाऊ करना चाहता है तथा अपनी खरीद सुद्वा, कब्जे सुद्वा भूमि का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है इसके लिए उसे खातेदार मालिक राजस्व रिकार्ड में होना आवश्यक है इसलिए वादी अपनी खरीद सुद्वा, कब्जे सुद्वा, कब्जे सुद्वा भूमि का मालिक घोषित होना चाहता है इसलिए वाद घोषणात्मक पेश करना आवश्यक हुआ।

4. यह कि वादी की वाद वर्णित विक्रय पत्र के जरिये खरीद सुद्वा, कब्जे सुद्वा भूमि का और अधिक विकास करने व अधिक उपजाऊ करने के लिए ऋण की आवश्यकता है जब वादी ने प्रतिवादीगण को अपनी खरीद सुद्वा, कब्जे सुद्वा भूमि का बाहमी बंटवारा के के मुताबित विधिवत खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण ने खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया। इसलिए दावा खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ।

5. यह कि वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि ख0 न0 535 रकबा 0.82 है0 का विधिवत खाता विभाजन करवाने हेतु 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि आपकी खरीद सुद्वा, कब्जे सुद्वा कृषि भूमि ख0 न0 535 रकबा 0.82 है0 का इन्तकाल आपके नाम दर्ज राजसव रिकार्ड नही हुआ हैं तथा आज तक उक्त वाद वर्णित कृर्षि भूमि प्रतिवादीगण (हमारे) नाम ही दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैंहम उक्त वाद वर्णित कृर्षि भूमि का बेचान किसी बाहुबली को कर देगे जो आपसे लठ के बल पर कब्जा भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रतिवादीगण गत 5 रोज से वादी को वाद वर्णित खरीदशुद्धा , कब्जे शुद्धा भूमि को बेचान करने वादी के कब्जे कास्त से बेदखल कर जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहा हैं इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

6. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खरीदशुद्धा , कब्जेशुद्धा वाद वर्णित कृर्षि भूमि को किसी बाहुबली के पक्ष मे विकृय पत्र करवाकर जबरन लठ के बल पर कब्जा करने की धमकी गत 5 रोज से लगातार देने से आधार विवाद पैदा हुआ हैं इसलिए वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद हैं।

7. यह कि वादी अपनी खरीदशुद्धा , कब्जेशुद्धा वाद वर्णित कृर्षि भूमि का जरिये विकृय पत्र दिनांक 31.05.2017 के मालिक [illegible] खरीदशुद्धा , कब्जेशुद्धा भूमि का विधिवत खाता विभाजन करवाने का अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

8. यह कि वादी की वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) मे स्थित हैं जो माननीय न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित हैं इसलिए न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार प्राप्त हैं।
9. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।
10. यह कि शपथ पत्र वादी संलग्न हैं।
11. यह कि वादी द्वारा राजव रिकॉर्ड की प्रतिलिपी लिये जाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड मे कोई परिवर्तन नही हुआ हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः-

(क). कि वाद वादी विरूद प्रतिवादीगण इस आश्य का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता स. 72 के ख.न. 535 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि का खातेदार कास्तकार मालिक जरिये विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2017 के अनुसार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करवाये जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी वर्णित कृषि भूमि ख.न. 535 रकबा 0.82 हैक्टर के कब्जे कास्त मे कोई दखल पैदा नही करे तथा ना ही किसी अन्य को रहन , बेचान , दान , गिरवी , वसियत आदि करे ऐसा ना स्वयं करे व ना ही अपने परिवारजनो , मित्रो रिश्तेदारो आदि से करे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से दिनांक 02.09.2019 को श्री राजेश यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया था, तथा दिनांक 27.07.2022 को हिदायत पैरवी नही होना जापहिर किया। अतः प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाती है।

वादी की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075-78 (प्रदर्श-1), नकल जमाबंदी संवत् 2071-74 (प्रदर्श-2), विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2017 (प्रदर्श-3),) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र सुरजभान पुत्र हेमराज (पी. डब्ल्यू.-1) भी पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद पत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली पर [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श- 3 के अवलोकन से स्पष्ट के [illegible] नम्बर [illegible] खातेदार सन्तरा देवी पत्नी नन्दलाल, राजेन्द्र, अमित पुत्र नन्दलाल [illegible] द्वारा वादी [illegible] पक्ष मे दिनांक 31.05.2017 को पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान किया है [illegible] दर्ज नही हुआं है। वाद वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वर्तमान में दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 के हिस्से में से खसरा नम्बर 535 रकबा 0.82 है. भूमि में नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेशः–

न्यायालय वाद वादी डिक्री न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 535 रकबा 0.82 है. भूमि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2017 के वादी को खातेदार धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 535 रकबा 0.82 है. सम्पूर्ण वादी को खातेदार धोषित किया गया है इसलिए खाता विभाजन का पृथक कोई आदेश नही दिया जा रहा है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:35 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं:—101/2017 **जीसीएमएस वाद संख्या : —2017/00120**
निर्णय दिनांक:— ....

सुरजभान **बनाम** सन्तरा आदि

दावा बाबत— खाता विभाजन, धोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 20/7/23.....को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि —

" न्यायालय वाद वादी डिक्री न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम देवलावास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 535 रकबा 0.82 है. भूमि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2017 के वादी को खातेदार धोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 535 रकबा 0.82 है. सम्पूर्ण वादी को खातेदार धोषित किया गया है इसलिए खाता विभाजन का पृथक कोई आदेश नही दिया जा रहा है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20/7/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन **सहायक कलक्टर,** बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.08.22 13:58:35 IST
Reason: SelfAttested